राज. सरकार बनाम [illegible]

53/2016

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	24/9/21	उभय [illegible] / अधिवक्ता संघ ने न्यायिक [illegible] / P.O. साहब अन्य प्रशा[illegible] के समक्ष ..... हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 14/10/21 को पेश हो। (सोढ़ा)	
	14.10.21	पत्रावली आज प्रकाशन गोपाल के लिए केस विरोध मे पेश हुई मूल वाद प्रकाश धारा 173 RTA Act के मुकि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने से कार्यवाही बन्द किये जाने से इस T I आदेश पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से T I आदेश खारिज किया जाता है पत्रावली नेमत प्रकाशन होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सब [illegible] जनल मा[illegible]
शाहपुरा जिला जय[illegible]